न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 34/2019

1 नत्थुसिंह पुत्र श्री रावतसिंह उम्र 74 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम मणकसास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 उम्मेद सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह उम्र 78 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम मणकसास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
2 भूमि धारक तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 01.05.2018 उनवानी नत्थुसिंह बनाम उम्मेद सिंह मु.नं. 19/2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी

उपस्थिति :

1. श्री जुगल किशोर सैनी, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 20.12.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 19/2018 में पारित निर्णय दिनांक 01.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र धारा 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 432 वाके ग्राम मणकसास का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर 432 में आवागमन एक कृषि जोत के लिये 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता हाल भूमि खसरा नम्बर 418, 2129, 430 के दक्षिणी कोने से होता हुआ क्लेम किया था जिसमें न्यायालय ने तहसीलदार उदयपुरवाटी से मौका रिपोर्ट मांगी थी परन्तु मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का मणकसास के द्वारा दिनांक 05.03.2018 को न्यायालय में प्रस्तुत की है तथा इस मौका रिपोर्ट पर आवेदक/अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं है तथा ना ही हल्का पटवारी के द्वारा अपीलान्ट को कोई सूचना पटवारी हल्का द्वारा नहीं दी गई थी मौका रिपोर्ट तहसीलदार उदयपुरवाटी से मांगी गई था परन्तु तहसीलदार उदयपुरवाटी मौके की जांच करने मौके पर नहीं गया हल्का पटवारी द्वारा तैयार रिपोर्ट ही तहसीलदार द्वारा न्यायालय में पेश की गई है जिसको आधार मानकर विचारण न्यायालय ने अपना आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय ने क्लेमशुदा रास्ते के अलावा भूमि खसरा नम्बर 430 के मध्य से वैकल्पिक रास्ता चालु बताया गया है जो आगे भूमि खसरा नम्बर 2095/413 जो मौके पर रास्ता है में मिलना बतालाया है भूमि खसरा नम्बर 430 जांच रिपोर्ट 12.03.2018 में गैरमुमकिन पहाड़ी दर्शायी गयी है। जिसकी उंचाई करीबन 70–80 फीट है इस गैर मुमकिन पहाड़ी पर साधनों का आवागमन संभव नहीं है इस कारण विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 01.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिक
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

05.2018 जैर बहस खारिज होने योग्य है। हल्का पटवारी रिपोर्ट दिनांक 12. 03.2018 में पटवारी हल्का ने अपनी जांच रिपोर्ट में खसरा नम्बर 418 में से कितनी भूमि जाती है तथा भूमि खसरान 429 में रास्ते में कितनी भूमि जाती है तथा 430 में कितनी भूमि क्लेमशुदा रास्ते में जाती है इसका माप अलग अलग अंकित नहीं किया है केवल पुरी लम्बाई एक साथ अंकित की गई है जिसको देखने मात्र से ही पता चलता है कि हल्का पटवारी ने मौके पर जाकर यह रिपोर्ट तैयार नहीं की है तथा ना ही किसी भी पक्षकार के मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में आवेदक अपीलांट था। अपीलांट का आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से खारिज किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील 1 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न भू–अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट दिनांक 05.03.2018 में स्पष्ट रूप से अंकन है कि आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य उपयुक्त रास्ता खसरा नम्बर 430 में से होता हुआ मौजुद है। इसका नजरी नक्शा भी अंकन किया हुआ है। वैकल्पिक रास्ता होने के कारण विचारण न्यायालय ने अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)